INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP01395765636247V

Certificate No.	:	IN-UP01395765636247V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 11:20 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14784604/ BHATPAR RANI/ UP-DRA
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1478460498372409719924V
Purchased by	:	DR A M ISLAMIA COLLEGE OF PHARMACY SACHIV NURAISHA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DR A M ISLAMIA COLLEGE OF PHARMACY SACHIV NURAISHA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DR A M ISLAMIA COLLEGE OF PHARMACY SACHIV NURAISHA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

NOTARY

U.P. GOVERNMENT

Statutory Alert:

Sl. No. २६३९ [illegible]

[illegible] ३०/८/२३

Sl. No. २६३९ ....

[illegible] the Signature/thumb impression [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] signed [illegible] his/her thumb impression

before me on this .... Day of ३०/८/२३

and who has .... [illegible]

this .... He/She [illegible]

by Shri. [illegible]

[illegible] ३०/८/२३

Justice [illegible]

Notary [illegible]

Deona [illegible]

NOTARY

[illegible] ३०/८/२३

[illegible]

U.P. GOVT. [illegible]

(प्रारूप –''अ'')

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र की प्रारूप

हम **अजीज एवं नुरैशा** कमशः अध्यक्ष एवं सचिव **मोमीन अंसार सोसाइटी ग्राम दिस्तौली पो0 चनुकी जि0 देवरिया** शतथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है–

1. यह कि, हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा **डॉ ए0 एम0 इस्लामियाँ कालेज ऑफ फार्मेसी ग्रा0 दिस्तौली पो0 चनुकी जि0 देवरिया** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 के किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि, हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम **ग्राम0 दिस्तौली पो0 चनुकी देवरिया** मे गाटा संख्या **112, 113, 263, 271, 283, एवं 468 रकब कमश 0.016, 0.080, 0.628, 0.085, 0.125, एवं 0.773 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.209 1/3 हेक्टेयर) भूमि है।**

3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **112, 113, 263, 271, 283, एवं 468 रकब कमश 0.016, 0.080, 0.628, 0.085, 0. 125, 0.773** एवं **0.773** हेक्टेयर (कुल रकबा **0.209 1/3** हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने की प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक **07/08/2022** द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो की निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NOTARY
30/8/23
U.P. GOVERNMENT

Scanned with OKEN Scanner

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

NOTARY

30/8/23